बुक्सा टाइगर रिज़र्व: पश्चिम बंगाल

प्रिलिम्स के लिये:

बुक्सा टाइगर रिज़र्व, टाइगर कॉरिडोर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के अन्य संरक्षित क्षेत्र

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), बाघ संरक्षण परियोजनाएँ, बाघ संरक्षण से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बुक्सा टाइगर रिज़र्व में 23 वर्षों में पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया।

- ऐतिहासिक रूप से बाघ बुक्सा टाइगर रिज़र्व की दक्षिणतम सीमा सहित पूरे रिज़र्व में पाए जाते हैं। हालाँकि वर्तमान में **बुक्सा टाइगर रिज़र्व में बाघों का घनत्व कम है।**

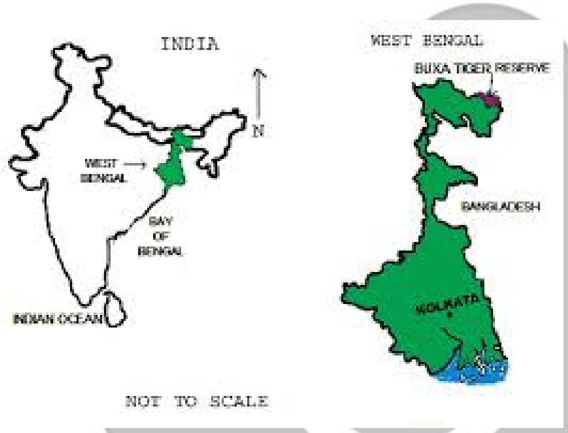

प्रमुख बिंदु:

- ### बुक्सा टाइगर रिज़र्व:
  - बुक्सा टाइगर रिज़र्व **पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले** के अलीपुरद्वार उप-मंडल में स्थित है। इसे **वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिज़र्व** के रूप में स्थापित किया गया था।
    - इसे जनवरी 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
  - बुक्सा टाइगर रिज़र्व की उत्तरी सीमा **भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा** के साथ लगती है। **सिंचुला पहाड़ी शृंखला** बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी किनारे पर स्थित है तथा पूर्वी सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है।
  - टाइगर रिज़र्व में बहने वाली मुख्य नदियाँ- **संकोश, रैदक, जयंती, चुर्निया, तुरतुरी, फशखवा, दीमा और नोनानी हैं।**

- ### टाइगर कॉरिडोर:
  - बुक्सा टाइगर रिज़र्व की कॉरिडोर कनेक्टिविटी की सीमाएँ उत्तर में भूटान के जंगलों को, पूर्व में कोचुगाँव के जंगलों और मानस टाइगर रिज़र्व तथा पश्चिम में जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान को स्पर्श करती है। महत्त्वपूर्ण कॉरिडोर लिंक निम्नलिखित हैं:

- **बुक्सा-टीटी (टोरसा के माध्यम से):** यह बुक्सा टाइगर रिज़र्व के रंगमती रिज़र्व वन क्षेत्र को टिटी रिज़र्व फॉरेस्ट से जोड़ता है।
- **बुक्सा-टिटी (बीच और भरनाबाड़ी टी एस्टेट के माध्यम से):** यह भरनाबाड़ी टी एस्टेट और 'बीच टी एस्टेट' से गुजरते हुए 'दलसिंगपारा टी एस्टेट' के दक्षिण में स्थित बुक्सा-टाइगर रिज़र्व के भरनाबाड़ी रिज़र्व फॉरेस्ट और टिटी रिज़र्व फॉरेस्ट को जोड़ता है।
- **नमिती-चलिपटा (बुक्सा-चलिपटा):** यह बुक्सा टाइगर रिज़र्व की नमिती रेंज और चलिपटा रिज़र्व फॉरेस्ट के बीच हाथियों की आवाजाही को सुगम बनाता है, जिससे बुक्सा टाइगर रिज़र्व और जलदापारा वन्यजीव अभयारण्य (पश्चिम बंगाल) के बीच हाथियों की आवाजाही सुलभ हो सके।
- **संकोश (संकोश) में बुक्सा-रिपू:** यह गलियारा एक सन्निहित जंगल है जो पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिज़र्व को कोचुगाँव वन प्रभाग, असम के रिपु रिज़र्व फॉरेस्ट से जोड़ता है।

- उल्लिखित गलियारे उत्तर-पूर्व और ब्रह्मपुत्र घाटी बाघ परिदृश्य का हिस्सा हैं, जो विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों जैसे बुक्सा**मानस टाइगर रिज़र्व** (असम), भूटान में फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य और जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की उपस्थिति से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

वनस्पति:

- मोटे तौर पर रिज़र्व के वनों को 'आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जंतु वर्ग:

- रिज़र्व में पाई जाने वाली कुछ महत्त्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं- इंडियन टाइगर (पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस), लेपर्ड (पैंथेरा पार्डस), क्लाउडेड लेपर्ड (नियोफेलिस नेबुलोसा), हॉग बेजर (आर्कटोनिक्स कोलारिस), जंगल कैट (फेलिस चौस) आदि।

पश्चिम बंगाल में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान
- **सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान**
- नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान
- सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान
- जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान

बाघ

बाघ संरक्षण की स्थिति:

- **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची- I
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) रेड लिस्ट:** लुप्तप्राय
- वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट- I

भारत की बाघ संरक्षण स्थिति:

- भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है।
- भारत के 18 राज्यों में कुल 51 बाघ अभयारण्य हैं और **वर्ष 2018 की अंतिम बाघ गणना** में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई।
- भारत ने बाघ संरक्षण पर **सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा** (St. Petersburg Declaration) से चार वर्ष पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया।
- भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है।

भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएँ:

- **प्रोजेक्ट टाइगर 1973:** यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की **एक केंद्र प्रायोजित योजना** है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है।
  - हाल ही में **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** ने गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को भारत में **53वें टाइगर रिज़र्व** के रूप में नामित किया है।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत गठित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/buxa-tiger-reserve-west-bengal